मैसर्स गोविन्द सिंह मेहरा व कुंजर सिंह रैखोला ठाडाईजर सोपस्टोन माईन ग्राम ठाडाईजर तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 10.09.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मैसर्स गोविन्द सिंह मेहरा व कुंजर सिंह रैखोला ठाडाईजर सोपस्टोन माईन ग्राम ठाडाईजर तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के सोप स्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल 4.70 है0) हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण (उत्तराखण्ड संस्करण) एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया (दिल्ली संस्करण) में दिनांक 09.08.2024 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 10.09.2024 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई। तदक्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 10.09.2024 पूर्वान्ह् लगभग 11:00 बजे निकट परियोजना स्थल ग्राम ठाडाईजर तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम डॉ0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था पी0एण्डएम0 सौल्यूशन नोएडा उ0प्र0 के श्री भरत सिंह रावत द्वारा लोक जनसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर/क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0नि0बोर्ड, हल्द्वानी व क्षेत्रीय जनता का स्वागत व अभिनन्दन कर इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना पूर्व से संचालित है। जिसमें वर्ष,2015 से खनन कार्य नहीं हुआ है। सोप स्टोन माईनिंग परियोजना से 28 लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खनन कार्य ओपन कास्ट मेकेनाइज्ड/सेमिमेकेनाइज्ड विधि से किया जायेगा

क्रमशः–2

01 अक्टूबर,2023 से 31 दिसम्बर, 2023 के भीतर बेसलाइन पर्यावरणीय परीक्षणोपरान्त क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए खनन क्षेत्र में और उसके आस–पास मिट्टी के तीन नमूने एकत्र किये गये। मिट्टी की भौतिक विशेषताओं को विशिष्ट मापदण्डों के माध्यम से चित्रित और अध्ययन करने पर पाया परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मिट्टी किसी भी प्रदूषणकारी स्त्रोत से दूषित नहीं है। परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी से पता चलता है कि आवासीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता (NAAQ) मानकों के भीतर है। पेयजल गुणवत्ता मानक सभी भौतिक–रासायनिक मानकों और भूजल नमूनों से भारी धातुएं पीने के पानी के मानकों के लिए निर्धारित सीमा से नीचे हैं। अध्ययन अवधि के दौरान अध्ययन क्षेत्र में एकत्र किये गये सभी नमूनों का पीएच मान सीमा के भीतर पाया गया। अध्ययन क्षेत्र से एकत्र किये गये पानी की नमूनों को खपत के लिए फिट पाया गया, अधिकांश भूजल के नमूने आईएस के अनुसार, अनुमेय सीमा के भीतर अच्छी तरह से हैं। सभी नमूनों में अधिकांश भारी धातुएं पता लगाने योग्य सीमा से नीचे हैं। शोर की निगरानी से पता चलता है कि अध्ययन क्षेत्र में रात के समय में न्यूनतम और अधिकतम शोर का स्तर 38.00 से 43.5 डेसीबल(ए) के बीच होता है और प्रति घण्टा दिन के समय 50.2 से 54.00 डेसीबल(ए) के बीच होता है। इसलिए अध्ययन क्षेत्र के 10 किमी क्षेत्र के भीतर शोर की गुणवत्ता की स्थिति एमओईएफ मानकों के भीतर है। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं। जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित परियोजना स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करेगी और जब भी जनशक्ति की आवश्यकता होगी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। वन जीवन की संवदेनशीलता एवं महत्व के बारे में श्रमिकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जायेगा। आरक्षित वन क्षेत्र में श्रमिकों व वाहनों के आवागमन के लिए कोई पथ या नई सड़क नहीं बनायी जानी चाहिए इससे वन विखण्डन, अतिक्रमण और मानव पशु मुठभेड को रोका जा सकेगा। अयस्क सामग्री ले जाने के लिए केवल कम प्रदूषण वाले वाहन को ही अनुमति दी जाएगी। वन क्षेत्र में हॉर्न की अनुमति नहीं होगी, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) सीपीसीबी मापदण्डों के अनुसार ध्वनि स्तर अनुमन्य सीमा के भीतर होगा। ध्यान रखा जायेगा कि मजदूरों द्वारा किसी भी जानवर का शिकार न किया जाय। यदि जंगली जानवरों को को कोर जोन पार करते हुए देखा जाता है, तो उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जायेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत मजदूरों को भोजन, प्लास्टिक को त्यागने की अनुमति नहीं होगी आदि जो कोर साइट के पास जानवरों को आकर्षिक कर सकते हैं। किसी भी पेड़ को काटना, लकड़ी काटना, झाड़ियों और जड़ी–बूटियों को उखाड़ना नहीं चाहिए। आरक्षित वन क्षेत्र में अयस्क सामग्री की कोई भी ड्रिलिंग नहीं होनी चाहिए। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के संग्रह पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। खदान के आसपास के पर्यावरण पर खनन के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल कार्य किया जायेगा।

क्रमशः–3

परियोजना के माध्यम से सी0ई0आर0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु बजट व्यय की कुल धनराशि रू0– 2.62 (लाख में) रखी गयी है। जिसको जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों के आधार पर परिवर्तित किया जायेगा। पर्यावरण के संरक्षण हेतु पूँजीगत लागत धनराशि रू0– 7.40 (लाख में) तथा आवर्ती लागत धनराशि रू0– 6.10 (लाख में) का प्राविधान रखा गया है साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि सीमा के साथ रिटेनिंग वॉल के लिए पूँजीगत लागत रू0– 1.50 (लाख में) को परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त इस धनराशि को बढ़ाकर रू0– 3.00 (लाख में) तथा आवर्ती लागत रू0– 50,000 से बढ़ाकर 1.00 (लाख में) किया जायेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत मजदूरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। खनन गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा, खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, यह चिकित्सा सुविधाएं आपात स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। मानसून प्रारम्भ होने से पहले सभी खनन गढढों को अपशिष्ट पदार्थ द्वारा भरकर समतल कर लिया जायेगा ताकि बरसात में अपशिष्ट पदार्थ के रिसाव की रोकथाम की जा सके समतलीकरण किये हुय भूम पर मानसून सत्र के दौरान खेती की जायेगी। नालों में चैक डैम भी बनाये जायेंगे, ताकि बरसात का साफ पानी चैक डैम के माध्यम से निकल जाय तथा अपशिष्ट पदार्थ चैक डैम की सतह पर एकत्रित हो सके। खनन कार्य MoEf & CC की अनुपालन आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। सामुदायिक प्रभाव फायदेमंद होंगे, क्योंकि परियोजना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी। खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण पर कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डाले बिना आगे बढ़ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत हैः–

1. श्री सुन्दर सिंह मेहरा पूर्व जिला पंचायत सदस्य– सर्वप्रथम श्री मेहरा द्वारा लोकसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0नि0बोर्ड, हल्द्वानी, उपस्थित जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय जनता व कार्मिकों का लोक सुनवाई में स्वागत अभिनन्दन करते हुए अवगत कराया गया कि क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से ही कई खनन माईन संचालित हैं। इसी प्रकार खनन हेतु ठाडाईजर माईन की भी लोक सुनवाई हो रही है। परियोजना के पर्यावरण सलाहकार श्री रावत जी द्वारा भविष्य में माईन कैसे संचालित की जायेगी उसके बारे में अवगत कराया जा चुका है इसके अतिरिक्त हमको लगेगा कि समय–समय पर कोई अन्य भी नई चीजें होनी चाहिए उसको भी हमारे द्वारा परियोजना प्रस्तावक के माध्यम से लोगों तक पहुँचाये जाने के प्रयास किये जायेंगे। पुनः सभी लोगों का अभिन्दन करते हुए कहा गया कि हमें इस परियोजना से कोई शिकायत नहीं है।

क्रमशः–4

2. श्री कुन्दन सिंह रैखोला ग्राम ठाडाईजर तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर— श्री रैखोला द्वारा सभी का स्वागत, अभिनन्दन करते हुए व परियोजना प्रस्तावक को बधाई देते हुए कहा गया कि यह माईन पुरानी है जिसमें पुनः खनन कार्य करने हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चहूँगा कि खनन कार्य वैज्ञानिक विधि से हो, खनन से फायदा है लोगों को रोजगार मिलता है। जल, जंगल, जमीन, मंदिरों व पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य हो, पट्टाधारक क्षेत्रीय जनता के साथ मिल—जुलकर सबको एक साथ लेकर रोजगार की दृष्टि से काम करेंगे तो सारी जनता पट्टाधारक के साथ है।
3. श्री पूरन सिंह गढ़िया, जिला पंचायत सदस्य— सर्वप्रथम श्री गढ़िया द्वारा लोकसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0नि0बोर्ड, हल्द्वानी, उपस्थित जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय जनता व कार्मिकों का लोक सुनवाई में स्वागत अभिनन्दन करते हुए परियोजना प्रस्तावकों को बधाई दी गयी तथा कहा गया कि क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से 25—26 खनन माईनें संचालित हैं सभी के द्वारा यहां पर जो भी मंदिरों में कार्य हो, चाहें स्कूलों में हो, पर्यावरण की दृष्टि से हो, टैंकरों से पानी उपलब्ध कराना हो आदि कार्य किया जाता रहा है। भविष्य में जब ठाडाईजर सोप स्टोन माईन संचालित हो जायेगी तब परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। क्षेत्रान्तर्गत जो भी मंदिर बने उनमें खनन व्यवसायियों की ही भागीदारी रही है। प्रकृति द्वारा जो हमें यह खनन क्षेत्र दिया गया है उससे यह क्षेत्र धन धान्य हुआ है। लोगों को रोजगार मिलता है ट्रैक्टर वालों को खच्चर वालों को ट्रक वालों को जो बाहर से दुकानदार आये हैं उनकी दुकानदारी भी खनन से चलती है जिससे क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था संचालित होती है। क्षेत्रान्तर्गत संचालित खनन माईन से खनन न्यास में जमा धनराशि से पेयजल आपूर्ति हेतु जगह—जगह सोलर हैण्ड पम्प, रास्ते, शौचालय आदि बनाये जाने हेतु जिला प्रशासन को धन्यवाद किया गया तथा कहा गया कि भविष्य में जब यह माईन संचालित हो जायेगी तो परियोजना प्रस्तावक क्षेत्र के खनन पट्टाधारक के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलेंगे पुनः सभी उपस्थित लोगों का अभिनन्दन करते हुए परियोजना का समर्थन किया गया।
4. श्री योगेश हरड़िया विधायक प्रतिनिधि, विधानसभा क्षेत्र कपकोट— सर्वप्रथम श्री गढ़िया द्वारा लोकसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0नि0बोर्ड, हल्द्वानी, उपस्थित जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय जनता व कार्मिकों का लोक सुनवाई में स्वागत अभिनन्दन करते हुए परियोजना प्रस्तावकों को बधाई दी गयी तथा कहा गया कि हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है क्योंकि प्रकृति ने हमें खनिज सम्पदा से परिपूर्ण क्षेत्र प्रदान किया है। प्रत्यक्ष—अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के क्षेत्र में हो, सामाजिक, राजनैतिक हो पौराणिक परम्परा टूर्नामेण्ट के रूप में हो खनन से जुड़ कर लोगों की आर्थिकी कहीं न कहीं आगे बढ़ी है और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है जहां खनन नहीं है वहां आप लोग देख रहे हैं कि गांव के गांव पलायन से खाली हो रहे हैं यदि लोग खेती—बाडी करते भी हैं तो बन्दरों और सुअरों के आतंक से ग्रासित हैं यह दुर्भाग्य की बात है कि लोगों को अपने क्षेत्र को छोड़कर जाना पड़ रहा है।

क्रमशः—5

यदि प्रकृति द्वारा हमें यह खनिज सम्पदा युक्त क्षेत्र दिया गया है तो कहीं न कहीं हमें माईन ऑनर्स के साथ मिलकर समन्वय से आगे बढ़ना होगा और वैज्ञानिक व खनन नियमों के भीतर खनन कार्य करना होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आज यू0ए0ई0 ने अपने तेल के कुँओं को पहचाना और उनका वैज्ञानिक व वैधानिक रूप से दोहन कर उन देशों की अग्रिणी देशों में गिनती होती है। इसलिए हम माईन ऑनर्स को चाहिए कि स्थानीय काश्तकारों के साथ आपसी समन्वय व सहयोग के साथ व काश्तकारों को भी स्थानीय माईन ऑनर्स के साथ समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा तथा पुनः परियोजना प्रस्तावको को बधाई देते हुए परियोजना का पूर्ण समर्थन किया गया।

5. श्री कमल सिंह बाफिला ग्राम ठाडाईजर तहसील दुग–नाकुरी जनपद बागेश्वर– श्री बाफिला द्वारा पर्यावरण सलाहकार से पृच्छा की गयी कि प्रस्तावित खनन क्षेत्रान्तर्गत सिविल व वन पंचायत की कितनी भूमि आ रही है। खनन क्षेत्र के चारों ओर वन पंचायत की भूमि है खनन क्षेत्र के नीचे नदी है और चारों ओर रास्ते व मोटर मार्ग है तो खनन कार्य इस सम्पत्ति से कितनी दूरी पर किया जायेगा। माईन के समीप विद्यालय व मंदिर है मशीनों के चलने से अन्यत्र प्रभाव पडेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत पेयजलीकरण कब तक होगा।

तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि खनन परियोजना लीज के भीतर अथवा आस–पास कोई भी सार्वजनिक भवन, मंदिर, विद्यालय हो तो खनन नियमों के तहत 300 मी0 दूरी के उपरान्त ही खनन कार्य अनुमन्य होता है तथा वहां पर ओपन कास्ट माईनिंग की जाती है वहां पर सेमीमेकेनाइज्ड विधि से माईनिंग नहीं की जाती है जैसा कि सोप स्टोन के नाम से स्पष्ट है कि सोप स्टोन काफी सॉफ्ट होता है तो मशीन का उपयोग मात्र ओवर बर्डन हटाने के लिये ही किया जाता है। माईनिंग का कार्य प्रस्तावित क्षेत्र के सबसे नीचले हिस्से में की जायेगी वहां पर यदि कोई बरसाती नाला आदि होगा तो उसके लिए रिटेनिंग वॉल व चैक डैम का प्राविधान रखा गया है। यदि परियोजना प्रस्तावक खनन निमयों के विरूद्ध खनन कार्य करते हैं तो प्रत्येक छः मांह में निरीक्षण किया जाता है तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी निगरानी की जाती है यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आते हैं तो इस संबंध में संबंधित विभाग द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही की जाती है। खनन कार्य सरकारी भूमि व वन भूमि में नहीं होता है खनन कार्य मात्र काश्तकार की भूमि में उनकी 60 प्रतिशत आनापत्तियों के आधार पर होता है। जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टोर जारी कर खनन हेतु लोकसुनवाई आयोजित करवायी जाती है। यदि खनन कार्य राज्य सरकार अथवा वन भूमि व वन पंचायत की भूमि पर होता है तो सम्भवतः प्रस्तावक द्वारा संबंधित विभाग से अनापत्ति ली गयी होगी।

6. श्री गोविन्द सिंह मेहरा (परियोजना प्रस्तावक)– श्री मेहरा द्वारा उपस्थित सभी लोगों को स्पष्ट कराया गया कि खनन कार्य से पूर्व सभी की शंकाओं का समाधान किया जायेगा।

तद्क्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा परियोजना प्रस्तावक के साथ–साथ सभी को संज्ञान कराया गया कि खनन कार्य रास्तों, प्राकृतिक पेयजल स्त्रोतों व पेयजल लाईनों को संरक्षित कर किया जायेगा।

क्रमशः–6

इनमें खनन कार्य नहीं होगा यदि सरकारी भूमि में खनन कार्य होता है तो इसमें अर्थदण्ड की धनराशि बहुत ही अधिक होती है। क्षेत्रीय पटवारी प्रस्तावित खनन क्षेत्र की पिलरिंग कर दें ताकि खनन क्षेत्र स्पष्ट हो जाय। सरकारी रास्ते, जंगल जाने वाले रास्ते यदि कहीं पर भी क्षतिग्रस्त होता है तो प्राविधानित बजट से तत्काल मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्य कराया जाना होगा। जैसा कि वक्ताओं द्वारा कहा गया कि क्षेत्रान्तर्गत खनन कारोबारियों द्वारा बहुत काम किया गया है तथा आलोच्य अवधि में क्षेत्रानन्तर्गत 6–7 लोकसुनवाईयों में यही देखने को मिल रहा है कि विद्यालयों में रसायन प्रयोगशाला, स्मॉर्ट क्लास आदि हेतु पृथक–पृथक धनराशि प्राविधानित की जा रही है। जब क्षेत्रान्तर्गत 25–26 माईन संचालित है यदि एक माईन 01.00 (लाख में) क्षेत्र के विकास के लिए देता है तो 25–30 लाख वार्षिक होता है जिससे क्षेत्र के विकास के लिए कोई बढ़ा काम क्यों नहीं किया जा सकता है छोट–छोटे काम दिखायी नहीं देते हैं जिसका उपस्थित जनप्रतिनिधियों व अन्यों द्वारा इस बात का समर्थन किया गया। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय स्थापित कर कोई बढ़ा कार्य कर सकते हैं। खनन न्यास से हर कार्य सम्भव नहीं है जो उसके मानकों के भीतर है सम्भवतः वही कार्य हो सकते हैं जबकि पट्टेदारों द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए प्राविधानित राशि को प्रत्येक वर्ष व्यय किया ही जाना होता है तो क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधि व माईन यूनियन के पदाधिकारी आपस में बैठकर क्षेत्र के विकास व आवश्यकता के दृष्टिगत कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए परियोजना के माध्यम से रिटेनिंग वॉल के लिए बजट बढाये जाने की आवश्यकता है तथा प्राविधानित बजट पूर्ण रूप से धरातल पर व्यय हो यह सुनिश्चित किये जाने हेतु ग्रामीणों को पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। परियोजना प्रस्तावक खनन से पूर्व स्थानीय काश्तकारो से अनुबन्ध गठित कर लें तथा अनुबन्ध की शर्तों के अधीन कार्य करें यदि अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंधन किया जाता है तो प्रभावित पक्ष कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है तथा मुआवजे का भुगतान नकद न कर चैक के माध्यम से किये जाने की अपेक्षा की गयी ताकि भविष्य में मुआवजा भुगतान को लेकर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। खनन से संबंधित जो भी कार्य करें उसका डक्यूमेण्ट अवश्य ही रखा जाय। बाकि खनन परियोजना के संबंध में किसी को कोई आपत्ति नहीं है हर कोई काम करना चाह रहा है।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा कहा गया कि परियोजना के कई सामाजिक पहलू हैं जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है परन्तु परियोजना का पर्यावरणीय पहलू भी होना चाहिए इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पुंगर नदी के प्रवाह मार्ग में स्थित माईनों के ओवर बर्डन नदी/नालों में निस्तारित किये जाने के संबंध में एक सर्वे प्रस्तावित किया जाना सुनिश्चित किया गया। इसी भांति पर्यावरणीय स्वीकृति के अन्तर्गत जो शर्तें दी जाती हैं उनका पूर्ण अनुपालन किया जाना चाहिए। जैसे कि यहां पर बताया जा रहा है कि क्षेत्रान्तर्गत 25–26 माईनें संचालित हैं यदि इनकी एक संयुक्त कमेटी बन जाय तो उचित होगा जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य को देखे। पट्टाधारकों द्वारा पेड़ लगाये गये और उनकी देखभाल नहीं की तो क्या होगा यदि पेड़ लगाकर संरक्षित किये गये होते तो

क्रमशः–7

यह पूरा क्षेत्र आज एक जंगल के रूप में विकसित होता। नदी, नालों व प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण किया जाना चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखकर चलना होगा तथा उदाहरण स्वरूप कहा गया कि पूर्व में क्षेत्रान्तर्गत काफी दूधारू जानवर यदा गाय, भैस, बकरी दिखायी देते थे चूंकि उस समय जंगल था और अब धीरे–धीरे जंगल खत्म हो रहे हैं जिस कारण क्षेत्रान्तर्गत दूधारू जानवर विलुप्त हो रहे हैं क्योंकि हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्राविधानित बजट का पूर्ण उपयोग धरातल पर करते हुए उसका पर्यवेक्षण किसी गठित समिति अथवा जनप्रतिनिधि से कराया जाना उचित होगा। प्रकृति से खड़िया के रूप में हम जितना दोहन कर रहे हैं उतना ही पर्यावरण संरक्षण के रूप में पेड़ पौधों के रूप में प्रकृति को लौटाना होगा। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पर्यावरणीय मानकों को अनुपालन किया जाना अनिवार्य है तभी हमारा पर्यावरण संरक्षित रह सकता है।

अन्य सुझाव/टिप्पणियॉ प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक एवं उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

संलग्नक–यथोपरि।

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(एन0एस0 नबियाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा, स्व० श्री कुंवर सिंह रैखोला, द्वारा ग्राम-ठाडाइजर, तहसील व जिला-बागेश्वर में सोप स्टोन माइनिंग (क्षे०-4.70 है०) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण :-

सुनवाई स्थल- निकट परियोजना स्थल (ग्राम- ठाडाइजर)
समय एवं तिथि:- प्रातः 11:00 बजे, दिनांक 10/09/2024

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	एन० एस० नबियाल	अपर जिलाधिकारी बागेश्वर	[illegible]
2.	डा० डी० के० जोशी	क्षेत्रीय अधिकारी (उ०प्र०नि०बोर्ड हल्द्वानी)	[illegible]
3.	भरत सिंह रावत	पर्यावरण सलाहकार	[illegible]
4.	सी० बी० जोशी	अनुभाग सहा० (उ०प्र०नि०बोर्ड)	[illegible]
5.	कुन्दन तिवारी	PA to ADM	[illegible]
6.	पंकज सिंह	Sameti	[illegible]
7.	Nirmal Singh	Raichala Gaon	[illegible]
8.	चंचल सिंह	ठाडाइजर	चंचल सिंह
9.	महेश सिंह बाफिला	बाफिलागाँव	[illegible]
10.	जोगा सिंह रैखोला	रैखोला (औरा)	[illegible]
11.	राजेन्द्र सिंह	ठाडाइजर	राजेन्द्र सिंह
12.	नरेन्द्र सिंह आपाला	कुराली	[illegible]
13.	मदन सिंह	[illegible]	[illegible]
14.	रमेश सिंह	सुरकाली गाँव	[illegible]
15.	राजेन्द्र सिंह राठौर	हिला	[illegible]
16.	इन्द्र सिंह	[illegible]	[illegible]
17.	ललित सिंह	कुराली	[illegible]
18.	जगदीश रैखोला	रैखोला गाँव	[illegible]
19.	मनोज सिंह	रैखोला	[illegible]
20.	गोविन्द सिंह मेहरा	[illegible]	[illegible]
21.	कुंवर सिंह रैखोला	[illegible]	गोविन्द सिंह
22.	[illegible] सिंह रैखोला	रैखोला गाँव	[illegible]
23.	गोविन्द सिंह	Thadaijar	[illegible]
24.	Kamal singh	ठाडाइजर	[illegible]
25.	हरीश सिंह	पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत	[illegible]
	[illegible] सिंह मेहरा		

जन सुनवाई
खनन परियोजना – गोविन्द सिंह मेहरा व कुंजर सिंह रेखौला
ठाडाइजर सोपस्टोन माइन (क्षेत्रफल – 4.70 है0)
ग्राम व पो0 – ठाडाइजर, दुगनाकुरी, बागेश्वर
सुनवाई स्थल - ठाडाइजर
समय व तिथि – प्रातः11 बजे, दिनांक – 10 सितम्बर 2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UKPCB
आवास विकास कालौनी - हल्द्वानी (नैनीताल)
परियोजना प्रस्तावक – श्री गोविन्द सिंह मेहरा व कुंजर सिंह रेखौला
रण सलाहकार – पी0 एण्ड एम0 सोल्यूशन, सी–88, सेक्टर 65, नोएडा - उ0प्र0

जन सुनवाई
खनन परियोजना – गोविन्द सिंह मेहरा व कुंजर सिंह रेखौला
ठाडाइजर सोपस्टोन माइन (क्षेत्रफल – 4.70 है0)
ग्राम व पो0 – ठाडाइजर, दुगनाकुरी, बागेश्वर
सुनवाई स्थल - ठाडाइजर
समय व तिथि – प्रातः11 बजे, दिनांक – 10 सितम्बर 2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UKPCB
परियोजना प्रस्तावक – श्री गोविन्द सिंह मेहरा व कुंजर सिंह रेखौला
पर्यावरण सलाहकार – पी0 एण्ड एम0 सोल्यूशन, सी–88, सेक्टर 65, नोएडा - उ0प्र0